ईसीजीसी लिमिटेड

प्रेस रिलीज़

निर्यातकों के लिए बीमा लागत में कटौती

अपने संचालन के 60वें वर्ष में, ई सी जी सी ने अपने ग्राहक अनुकूल प्रयास के रूप में अपनी सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसी रक्षाओं के प्रीमियम की दर में 17%की औसत से कटौती की । इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 28.19 पैसे प्रति 100 रु की तुलना में अल्पावधि निर्यातक कारोबार के अधीन प्रीमियम दरें घटकर 25.46 पैसे प्रति 100 रु. हो गयी है, जिसके फलस्वरूप संव्यवहार मूल्यों में कमी आई है तथा निर्यात प्रतिस्पर्धी हुए है।

ईसीजीसी, वाणिज्यिक व राजनीतिक कारण स्वरूप विदेशी ख़रीदारों के गैर भुगतान के जोखिमों से निर्यातकों को ऋण बीमा रक्षा प्रदान करने वाली, भारत सरकार की एक अग्रणी निर्यात ऋण एजेंसी(ईसीए) है। यह उधारकर्ता निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को भी बीमा रक्षा प्रदान करती है। 31मार्च, 2017 तक ईसीजीसी की प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रु. तथा चुकता पूंजी 1450 करोड़ रु. रही । 31 मार्च 2017 तक इसकी निवल मालियत 3619 करोड़ रु. रही।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, इसने भारत के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कई ग्राहक अनुकूल निर्यात संवर्धन पहल किए।

सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम दरों में कटौती करने के अलावा इसने निर्यात फ़ैक्टरिंग योजना को एमएसएमई के लिए सस्ता करने की दिशा में कई उपाय किए हैं। अल्प और दीर्घ अवधि (एमएलटी) निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने भारत में अनुषंगी एमएलटी निर्यातकों के लिए बीमा रक्षाएं आरंभ की हैं। दावों के निपटान की गति को बढ़ाने के लिए ईसीजीसी ने प्रमुख मेट्रो शहरों में स्थित पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में दावा प्रक्रिया केंद्र(आरसीपीसी) स्थापित किए हैं। बड़े निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में मात्रा छूट (वॉल्यूम डिस्काउंट) युक्तिसंगत किया गया है, जिसका लाभ अधिक से अधिक निर्यातकों को दिया जा सके।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कारोबार निष्पादन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ई सी जी सी की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदया ने मीडिया बैठक को संबोधित करते हुए सूचित किया कि निर्यातकों के कारोबार के अधीन संरक्षित निर्यातों के मूल्य तथा प्रभावी पॉलिसियों में 4% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वित्त वर्ष 2015-16 में संरक्षित कारोबार का मूल्य 1,35,000 करोड़ रु तथा 11,525 प्रभावी पॉलिसियों की तुलना में क्रमशः 1,41,000 करोड़ रु तथा 12,000 प्रभावी पॉलिसियाँ रहीं।

31 मार्च 2017 को , बैंकों को जारी निर्यात ऋण बीमा रक्षाओं(ईसीआईबी) के अधीन, 23,500 निर्यात खातों पर रक्षा प्रदान करते हुए 1,17,000 करोड़ रु का निर्यात अग्रिम बकाया रहा। निर्यात ऋण संवितरण में ईसीजीसी द्वारा रक्षित बैंकों का हिस्सा सुदृढ़ परंतु घटता हुआ रहा। सरकारी स्वामित्व वाले सभी बैंक तथा 14 निजी क्षेत्र के बैंक ईसीजीसी की रक्षा के अंतर्गत हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान रक्षित सम्पूर्ण कारोबार, जिसमें निर्यातकों, बैंकों एवं एमएलटी क्षेत्र को जारी रक्षाएं शामिल हैं, 2,65,000 करोड़ रु. रहा।

पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में रिकॉर्ड दावों की अदायगी के पश्चात, लगातार जारी वैश्विक मंदी और अनिश्चितता के कारण, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भी, ईसीजीसी को भी 886 करोड़ रु. के दावों की अदायगी का सामना करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ईसीजीसी द्वारा सीधी पॉलिसियों के अंतर्गत निर्यातकों को 207 करोड़ रु. मूल्य के 578 दावों का भुगतान किया गया तथा बैंकों को जारी निर्यात ऋण बीमा रक्षाओं के अंतर्गत ऋणदाता बैंकों को 679 करोड़ मूल्य के 200 दावों का भुगतान किया गया। ईसीजीसी द्वारा 31 मार्च 2017 को, नियामक के 1.5 ऋण शोधन क्षमता के औसत के नियम की तुलना में 8.88 की उच्च ऋण शोधन क्षमता का औसत बनाए रखा गया है। कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रत्न एवं आभूषण, रेडीमेड कपड़े, बुनियादी रसायनों और फार्मास्युटिकल्स आदि विभिन्न क्षेत्रों में दावों की अदायगी की गयी है।

पॉलिसी व्यापार के संदर्भ में, वर्तमान में निगम, विश्व के 237 देशों पर जोखिम रक्षाएं प्रदान करता है तथा इसके पास पूरे विश्व से 1,25,000 सक्रिय खरीदारों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, तथा जिसमे से समग्र बीमांकित जोखिम 1,40,000 करोड़ रु है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने 18,000 नए ख़रीदारों को अपने डाटाबेस में जोड़ा है। ख़रीदारों पर वाणिज्यिक जोखिम के बीमांकन के लिए ख़रीदारों के डेटा का उपयोग किया जाता है।

ईसीजीसी परियोजना निर्यातकों तथा मध्यम तथा दीर्घ अवधि निर्यातों के लिए ऋण प्रदान करने वाले बैंको को भी जोखिमों रक्षाएँ प्रदान करता है। 31 मार्च 2017 को लगभग 85 पॉलिसी रक्षाएं तथा बैंकों को 142 रक्षाएं प्रभावी रहीं। ईसीजीसी द्वारा मुख्यतः ओमान, केन्या, वियतनाम,अफगानिस्तान एवं नेपाल में कार्यान्वित परियोजनाओं पर रक्षाएं प्रदान की गयी है।

ईसीजीसी, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट का संचालन करता है जो भारत से ऐसी परियोजना निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है जो नीतिगत एवं राष्ट्रीय महत्व के हों तथा जो कंपनी के बीमांकन क्षमता से परे हों। 31.03.2017 तक, एनईआईए के अंतर्गत 76 परियोजनाओं से संबन्धित 122 रक्षाएं प्रभावी थीं। ईसीजीसी द्वारा समर्थित निर्यातों का मूल्य लगभग 26,000 करोड़ रु. एवं खरीदार ऋण रक्षाओं के अधीन यह लगभग 8500 करोड़ है।

वर्ष 2016-17 के लिए निगम के वित्तीय परिणामों पर बात करते हुए श्रीमती गीता मुरलीधर ने सूचित किया कि वर्ष के दौरान निगम के वित्तीय परिणाम 400 करोड़ से अधिक सकल लाभ के साथ बेहद संतोषजनक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कंपनी द्वारा भारत सरकार के लिए 72.50 करोड़ रु का लाभांश प्रस्तावित है।

वैश्विक पटल पर, ईसीजीसी ने दिनांक 23 मई, 2016 को अपने ईरानी समकक्ष ईजीएफ़आई के साथ भारतीय प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति की उपस्थिति में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईसीजीसी ने, दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में ब्रिक्स ईसीए के प्रमुखों की 2री बैठक, दिनांक 01-02 दिसम्बर को हैदराबाद में 2री ब्रिक्स तकनीकी कार्यशाला तथा 20-21 फरवरी को चेन्नई में जी12 ईसीए के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता एवं मेजबानी की।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, ईसीजीसी निर्यात ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समूह(आईडबल्यूजी) में भाग ले रहा है जिससे कि वह सरकार समर्थित निर्यात ऋण परियोजनाओं के प्रस्तावों/ 2 वर्ष से अधिक की ऋण अवधि वाले पूंजीगत वस्तुओं के निर्यातों पर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का निर्माण कर सके।

पुनर्बीमा और सहबीमा के द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में निर्यातों को सहयोग देने की संभावनाएं तलाश करने की दिशा में, ईसीजीसी की अफ्रीकी व्यापार बीमा एजेंसी(एटीआई) से वार्ता चल

रही है। एटीआई, अफ्रीका में व्यापार करने पर होने वाले व्यापार जोखिम तथा आने वाली लागत को कम करने के लक्ष्य के साथ, राजनैतिक जोखिम तथा व्यापार ऋण जोखिम बीमा उत्पाद उपलब्ध करता है।

वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समित ने अपनी 125वीं रिपोर्ट में, भारतीय निर्यातों में कुल वृद्धि के लिए ईसीजीसी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निर्यात ऋण फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए ईसीजीसी को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही बैंको को रक्षा प्रदान करने के ईसीजीसी के कार्य की सराहना करते हुए इसके द्वारा उठाये जाने वाले उच्च जोखिम के कारण एक बार पुनःसलाह दी कि ईसीजीसी को भारी मात्रा में पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

पिछले दशक में, लगभग 7000 करोड़ के दावों की अदायगी के साथ, निर्यातकों को पर्याप्त ऋण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, निर्यातकों तथा बैंकों के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक समर्थन प्रदान किया गया।

आने वाले वर्ष निर्यातकों के लिए काफी चुनौती पूर्ण प्रतीत हो रहे हैं तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश से किए जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कई आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। ईसीसीजी द्वारा भी निर्यातकों के लिए ऋण बीमा रक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में आवश्यक योगदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विनियमकों तथा सरकार के साथ कई निर्यात अनुकूल पहलों पर विचार विमर्श जारी है।